न्यायालय :– राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. / 2016 निगरानी R-3874/II/16

1.राजमेक पुत्र मुलायम सिंह खंगार
2.कपूरी बाई पत्नी राजमेक खंगार निवासी ग्राम देहरेटा सानी तह. नरवर जिला शिवपुरी

........आवेदकगण

बनाम

गणेशराम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम देहरेटा सानी तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. करैरा जिला शिवपुरी के प्रक. 80/2003–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.07.2004 की जानकारी दिनांक 20.10.2016 से अन्दर अवधि विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विवादित भूमि ग्राम देहरेटा सानी तह. नरवर स्थित शासकीय चरनोई भूमि से काविल काश्त करते हुये अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के व्यक्तियों को भूमि बंटित करने का अधिकार तहसील न्यायालय को प्राप्त होने से भूमि सर्वे क. 60/1 रकवा 0.49 हे. के संबंध में आवेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार नरवर के समक्ष एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को भूमि बंटित किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदनपत्र पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसका प्रक. 05/02–03/अ–19 पर पंजीबद्ध किया गया, अपात्तियां आमंत्रित की गई। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव ठहराव प्राप्त कर बंटन की अनुशंसा की गई। ग्राम हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण कराया जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी स्वयं के कथन लिये जाकर आवेदकगण के कथन लिपिबद्ध किये गये एवं स्वतंत्र साक्ष्य लिये जाकर आवेदकगण के हित में पटवारी रिपोर्ट से भूमिहीन होने की टीप अंकित है। समयावधि में किसी ग्रामवासी की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण उक्त आवेदनपत्र से संबंधित कार्यवाही संपन्न कर आदेश दिनांक 28.01.2002 से विवादित भूमि का बंटन आवेदकगण के पक्ष में स्वीकार किया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण निगरानी 3874–दो / 2016 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23/1/19	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 80 / अपील / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 26.7.04 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 26.7.04 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य अपर आयुक्त ग्वालियर	